भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न सं.*465**
05 अप्रैल, 2022 को उत्तर देने के लिए

## प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

***465. श्री संजय जाधव:**
**श्री विनायक भाऊराव राऊत:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क):** क्या सरकार ने प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों/उद्योगों की स्थापना करने के लिए विशेषकर महाराष्ट्र सहित राज्यों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं;

**(ख):** यदि हां, तो ऐसी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों तथा उद्यमों से अब तक प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

**(ग):** क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु ऋण एवं अनुदान प्रदान किए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

**(घ)** यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

**(ड.)** गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को प्रदत्त सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री**
**(श्री पशुपति कुमार पारस)**

**(क) से (ड.):** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

**प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के बारे में दिनांक 05 अप्रैल, 2022 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *465 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) का उल्लिखित विवरण ।**

**(क):** जी हां, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2016-17 से महाराष्ट्र सहित पूरे देश में प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सम्पदा पोर्टल पर समय-समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करता है ।

**(ख) से (घ):** सम्पदा पोर्टल के माध्यम से अब तक पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत देश भर में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों/उद्योगों की स्थापना के लिए 2358 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 441 प्रस्ताव महाराष्ट्र से संबंधित हैं।

स्कीम के कार्यान्वयन तथा प्रमोटरों की सहायता के क्रम में मंत्रालय ने अनेक उपाय किए हैं, जैसे (i) प्रोजेक्ट प्रस्ताव तथा अनुदान जारी करने की मांग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना (ii) परियोजनाओं की निगरानी तथा कार्यान्वयन हेतु डैशबोर्ड (iii) बाधाओं को दूर करने में सहायता करने के लिए प्रमोटरों/राज्य नोडल विभागों/बैंकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करना (iv) मूल्यांकन तथा अनुमोदन प्रकिया को सरल बनाने हेतु अंतरमंत्रालयी अनुमोदन समिति तथा तकनीकी समिति ।

क्षेत्र को आसान तथा किफायती ऋण प्रदान करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण प्रदान किए जाने के अंतर्गत सभी खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण कार्यकलापों को पात्र बनाया गया है तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में 2,000 करोड़ रुपए की विशेष निधि का गठन किया गया है ।

**(ड.)** वर्ष 2018-19 से महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत सहायता के लिए कुल 72 परियोजनाएं अनुमोदित की गईं हैं । इन परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत 1159.6 करोड़ रुपए तथा अनुमोदित कुल अनुदान सहायता 336 करोड़ रुपए है ।

******